कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक /भू–अर्जन/2017 177

प्रति,

खण्डवा, दिनांक /1/2017

आयुक्त महोदय,
जनसंपर्क विभाग,
म.प्र. भोपाल

विषय :– सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट के संबंध में अधिूसचना।

––00––

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर खंडवा सनावद के मय अमान परिवर्तन कार्य के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु जिला खण्डवा की तहसील पुनासा टप्पा– मांधाता के एक ग्राम खेडीबुजुर्ग की निजी भूमि को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट के संबंध में जारी अधिसूचना की चार प्रतियां संलग्न है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– 04 प्रतियां।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक /भू–अर्जन/2017 178

खण्डवा, दिनांक /1/2017

प्रतिलिपि :–

1– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

2– नायब तहसीलदार, टप्पा– मांधाता, तहसील पुनासा की ओर प्रेषित। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचनापटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करावें।

3– महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– माल जमादार कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक /133/2017/एलए/

नस्ती क्रमाक 133/2015एलए
खण्डवा, दिनांक 21/02/2017

:: अधिसूचना ::

उपमुख्य इंजिनियर(निर्माण)पश्चिम रेल्वे, इंदौर, द्वारा पत्र क्रमांक इंदौर/डब्ल्यू-335/1, (सनावद-खंडवा) दिनांक13.12.2016 सनावद-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन कार्य के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) के अध्याय -2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014 -सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, **मैं स्वाति मीणा नायक, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन,** विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु , 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-

अ.क्रं.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	टप्पा-मांधाता, तहसील-पुनासा	11	खेड़ी बुजुर्ग	0.11	सनावद-खंडवा अमान परिवर्तन कार्य हेतु भू-अर्जन के संबंध में
				योग	**0.11**	

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं उपमुख्य इंजिनियर(निर्माण)पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(स्वाति मीणा नायक)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)